न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अयोध्या।
उपस्थितः–सुरेन्द्र मोहन सहाय, एच.जे.एस.
अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–158/2026
Computer Registration No.1136/2026
CNR No. UPFZ010033632026

सूबेदार यादव आयु लगभग 55 वर्ष पुत्र घिराऊ निवासी ग्राम सिंहोरिया भदोखर, थाना पूराकलन्दर, जिला अयोध्या।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र०राज्य .....विपक्षी।

मु०अ०सं० 333/2026,
धारा 316(2) भा०न्या०सं०,
थाना पूराकन्लदर, जनपद अयोध्या।

अग्रिम जमानत आदेश

1. आवेदक/अभियुक्ता **सूबेदार यादव** द्वारा उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस, मु०अ०सं० 333/2026, धारा 316(2) भा०न्या०सं०, थाना पूराकन्लदर, जनपद अयोध्या के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया।

2. जमानत आवेदन पत्र में कहा गया है कि यह उनका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय में न दिया गया है और न ही निस्तारित हुआ है।

3. संक्षेप में अभियोजन के अनुसार वादी मोहनलाल का यह तर्क है कि उसने सूबेदार यादव व रिंकू यादव से लगभग 11 विस्वा भूमि, सूबेदार यादव व उनके पुत्र के कहने पर गुलाब चन्द्र को बेच दिया जो कि 32 लाख में तय हुआ था जो वादी को प्राप्त हो चुका है। फिर सूबेदार यादव और उनके पुत्र रिंकू यादव ने वादी के पिताजी और सगे भाई की जमीन गाटा संख्या 339 के एवज में वादी से जो सौदा 27 लाख रूपये में तय हुआ। दिनांक 17.11.2025 को वादी के पिताजी और भाई को ले जाकर सहकारी बैंक मसौधा से खाता संख्या 001002200010703 से 5 लाख रूपये बतौर बयाना नगद सूबेदार यादव के कहने पर उनके पुत्र रिंकू यादव को दे दिया। तत्पश्चात दिनांक 24.11.2025 को 14 लाख रूपये सूबेदार यादव के खाते में खाता संख्या 414602010906551 में नेफ्ट ट्रांसफर कर दिया। लगभग 8 लाख रूपये वादी के पिताजी को ले जाकर अंगूठा लगवाकर थोड़ा–थोड़ा करके बैंक से पैसा निकलवा लिया। उसके बाद में बैनामा करने से इंकार कर दिया। उसके बाद वादी के पिताजी पैसा मांगने जाते तो आज–कल करके टाल देते। उसके बाद में वादी के पिताजी की तबियत ज्यादा खराब हो गई जिनके इलाज में पैसा ज्यादा लग रहा था, तब उसके पिताजी ने उसे बताया सूबेदार यादव के घर पैसा मांगने गए, तो नहीं दिये।

4. आवेदक की ओर से तर्क किया गया है कि वे निर्दोष हैं। प्रश्नगत मामले में अभी विवेचना चल रही है। विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगा तथा फरात नहीं होगा। वादी व आवेदक एक ही गांव के रहने वाले है। वादी ने अपनी भूमि आवेदक के हाथ बेचने के लिए संविदा किया था तथा उसका सौदा 28 लाख रूपये में तय हुआ, जिसका भुगतान वादी को किया गया। वादी जमीन बेचने से मुकर गया और रूपये मांगने पर 14 लाख रूपये दिनांक 24.11.2025 को अपने खाते से आवेदक को दिया, शेष वादी ने नहीं दिया। काफी तगादा के बावजूद दिनांक 04.05.2026 को 14 लाख रूपये का चेक आवेदक को दिया, जिसका भुगतान नहीं हुआ है। प्रश्नगत प्रकरण पूरी तरह से सिविल प्रकृति का है। झूठी रिपोर्ट दर्ज कराया है। जमानत की याचना की गई है।

Digitally signed by Surendra Mohan Sahay
Date: 2026.06.16 15:37:03 NPT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

5. विद्वान ए०डी०जी०सी०क्रिमिनल द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

6. सुना और अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया। अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त एवं उसके पुत्र से जमीन के एवज में धनराशि प्राप्त करना स्वीकार किया है, बैनामा न करने की स्थिति में 14 लाख रूपये आवेदक के खाते में ट्रांसफर किया जाना दर्शित है। जिसके संबंध में अभियुक्त की ओर फेहरिस्त के माध्यम से अपने बैंक एकाउन्ट की ट्रांजक्शन हिस्ट्री संलग्न की है एवं छायाप्रति चेक जिला सहकारी बैंक लि०अयोध्या धनराशि 14 लाख जो कि वादी मोहन लाल द्वारा अभियुक्त को दिया गया है, संलग्न है। प्रकरण में वादी द्वारा जमीन विक्रय के लिए धनराशि प्राप्त करने एवं विक्रय न किये जाने की स्थिति में अभियुक्त का पैसा वापस करने का रिकार्ड प्रथम दृष्टया पत्रावली पर संलग्न है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि प्रकरण सिविल प्रकृति का है। आवेदक पर आरोप अधिकतम पांच वर्ष के अपराध से दण्डनीय है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अग्रिम जमानत दिये जाने के लिए आधार पर्याप्त हैं।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **सूबेदार यादव** द्वारा मु०अ०सं० 333/2026, धारा 316(2) भा०न्या०सं०, थाना पूराकन्लदर, जनपद अयोध्या के प्रकरण में प्रस्तुत यह प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। अवेदक द्वारा मु० 50,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान धनराशि के दो जमानतदार विचारण न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर दाखिल करने पर अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर अवमुक्त किया जाये।

दिनॉकः16.06.2026

(सुरेन्द्र मोहन सहाय)
J.O.Code–U.P6117
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अयोध्या